

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 07.10.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक:- 07.10.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रान्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हें अनावश्यक रूप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।



मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 07.10.2025 को जनपद महोबा के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये।

इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को महिला संबंधित समस्याओं/अपराधों के निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की गई, जिनमें शामिल हैं:

वूमेन पॉवर लाइन - 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा - 112

एम्बुलेंस सेवा - 108, चाइल्ड लाइन - 1098, स्वास्थ्य सेवा - 102

महिला हेल्पलाइन - 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन - 1076, साइबर हेल्पलाइन - 1930

कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और अन्य कानूनी प्रावधानों के बारे में समझाया गया। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट वितरित किए गए।

इस अवसर पर थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों की भूमिका और उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। मिशन शक्ति केन्द्रों का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा, मार्गदर्शन और सशक्तिकरण में सहयोग प्रदान करना है।

यह कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



“महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति थाना पनवाड़ी मिशन शक्ति केंद्र की सार्थक पहल”

जनपद महोबा में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत संचालित थाना पनवाड़ी स्थित मिशन शक्ति केंद्र ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सार्थक करते हुए एक और सफल हस्तक्षेप किया है।

आज दिनांक 07.10.2025 को आवेदिका जयंती पत्नी लल्लू अहिरवार निवासी ग्राम देवगनपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा द्वारा अपने पति लल्लू अहिरवार पुत्र गनपत अहिरवार के विरुद्ध शराब पीकर आए दिन मारपीट एवं गाली-गलौज करने के संबंध में मिशन शक्ति केंद्र, थाना पनवाड़ी पर प्रार्थना पत्र दिया गया।

मिशन शक्ति केंद्र में नियुक्त महिला पुलिस अधिकारियों/आरक्षियों द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए उभय पक्षों को थाने पर बुलाया गया। तत्पश्चात संवाद एवं काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई गई। धैर्यपूर्वक समझाने-बुझाने और परामर्श के उपरांत पति-पत्नी के बीच आपसी सहमति से प्रेमपूर्वक समझौता कराया गया।

इस पहल के परिणामस्वरूप पति-पत्नी के मध्य अब आपसी सौहार्द एवं पारिवारिक सामंजस्य स्थापित हो गया है तथा विवाद समाप्त हो गया है। मिशन शक्ति टीम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में समय-समय पर आवेदिका जयंती के मोबाइल नंबर पर कॉल कर फीडबैक लिया जाएगा, जिससे उसकी सुरक्षा एवं संतोष का ध्यान रखा जा सके।

यह घटना मिशन शक्ति केंद्र, थाना पनवाड़ी की संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई एवं महिला पुलिस अधिकारियों की सक्रियता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके माध्यम से एक परिवार को टूटने से बचाया गया तथा महिला को न्याय एवं सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।

जनपद महोबा पुलिस मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु निरंतर तत्पर है।



थाना अजनर की पुलिस टीम ने

01 वाछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में सलिप्त वाछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 07.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित 30नि0 ऋषी शुक्ला मय हमराह हे0कां0 यशपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 235/2025 धारा 75(2)/332C बीएनएस व 8 पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 नफर वाछित अभियुक्त काशीराम उर्फ काशीप्रसाद राजपूत उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम खिरियाकला थाना अजनर जनपद महोबा को ग्राम खिरियाकला के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. 30नि0 ऋषी शुक्ला
2. हे0कां0 यशपाल सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त -

काशीराम उर्फ काशीप्रसाद राजपूत उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम खिरियाकला थाना अजनर जनपद महोबा ।



“ग्राम बघौरा में ड्रोन उड़ने की झूठी अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति को थाना अजनर पुलिस ने किया गिरफ्तार, मा0 न्यायालय के समक्ष किया गया पेश”

पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के पर्यवेक्षण में भ्रामक अफवाहों एवं भ्रम का वातावरण फैलाने से रोकने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई।

दिनांक 07.10.2025 को प्रभारी निरीक्षक अजनर श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित टीम के वरिष्ठ उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बघौरा के आसमान में ड्रोन उड़ते देखे जाने की अफवाह फैल रही है।

सूचना पर टीम द्वारा तत्काल गांव में पहुंचकर जांच की गई, किन्तु गांव में किसी व्यक्ति द्वारा ड्रोन उड़ते देखे जाने की पुष्टि नहीं की गई। जांच के दौरान ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही थी, तभी अभियुक्त अरुण विश्वकर्मा पुत्र मातादीन विश्वकर्मा उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम बघौरा थाना अजनर जनपद महोबा द्वारा भ्रामक एवं असत्य सूचना फैलाने का प्रयास किया गया।

जब पुलिस टीम एवं उपस्थित संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा अभियुक्त को समझाया गया तो वह बात विवाद करने लगा जिस पर पुलिस टीम द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 उपजिला मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. वरिष्ठ उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह, थाना अजनर, जनपद महोबा

अभियुक्त का विवरण -

अरुण विश्वकर्मा पुत्र मातादीन विश्वकर्मा उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम बघौरा थाना अजनर जनपद महोबा



**थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की घटना से सम्बन्धित 02
वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अवैध शस्त्रों की रोकथाम के लिए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, आज दिनांक 07.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय के निर्देशन में उ0नि0 लालमणि द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत मु0अ0सं0 428/2025, धारा 288/351(2)/352 भारतीय न्याय संहिता (BNS) से संबंधित प्रकरण में वांछित 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.विकाश राजपूत पुत्र रामेश्वर राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बरातपहाड़ी, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा। 2.उमेश पुत्र अवधेश रैकवार उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम कौनिया, थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा को करिया पठवा, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त विकाश राजपूत के कब्जे से 01 अदद 315 बोर का तमंचा एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) BNS एवं 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि करते हुए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 लालमणि, थाना कोतवाली नगर, महोबा
- 2.उ0नि0 मनोज मिश्रा, थाना कोतवाली नगर, महोबा
- 3.हे0कां0 बृजेश कुमार तोमर, थाना कोतवाली नगर, महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विकाश राजपूत पुत्र रामेश्वर राजपूत, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम बरातपहाड़ी, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा।
2. उमेश पुत्र अवधेश रैकवार, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम कौनिया, थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा।

